न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार,(स0मा0)

पीठासीन अधिकारीः—वर्षा मीना (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
11/2020	15.07.2020	27.03.2026

1. विरेन्द्र प्रतापह सिंह पुत्र शिवप्रताप गुर्जर निवासी बहरावण्डा खुर्द तहसील खण्डार जिला स0मा0। प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार खण्डार जरिये लैण्ड होल्डर तहसील खण्डार।
2. हल्का पटवारी फरिया तहसील खण्डार।

अप्रार्थीगण

वाद पत्र शुद्धिकरण

उपस्थित :—

श्री हरिलाल बैरवा अधिवक्ता वादी/प्रार्थी की ओर से

निर्णय

1. वादी द्वारा यह वादपत्र बाबत् शुद्धिकरण के तहत पेंश किया गया, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।
   - वादी गांव बहरावण्डा खुर्द का निवासी होकर सेवानिवृत्ति कृषि सहायक है एवं काश्तकारी पैशा व्यक्ति है। वादी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 33/8, खसरा नम्बर शा0नं0 9, 10/3 रकबा 8 बीघा गोपालपुरा पटवार हल्का फरिया में स्थित है। प्रार्थी सरकारी सेवा में था एवं समस्त दस्तावेजों के रिकॉर्ड सर्विस में वादी का नाम विरेन्द्र प्रतापसिंह है। वादी को आम बोलचाल की भाषा में गांव में फतेहसिंह कह कर बुलाते है। जब जमीन अलॉट हुई तो वादी का नाम विरेन्द्र प्रतापसिंह की बजाय फतेहसिहं लिख दिया आधार कार्ड, सर्विस बुक, पहचानपत्र बचत खाता सभी में विरेन्द्र प्रतापसिंह नाम है। वादी अपनी जमीन पर लोन लेने बाबत् बैंक में गया अपने दस्तावेज पेश किय लोने लेते की बात कही पत्रावली बनवाई तो दिनांक 28.02.2020 को हल्का पटवारी ने कहा कि आपके बोलचाल का नाम फतेहसिंह के नाम जमाबन्दी है जबकि कागत विरेन्द्र प्रतापसिंह के नाम से है। पत्रावली नहीं बनेगी प्रार्थी से नाम शुद्ध करवाने के लिए कहा वादी तहसीलदार से मिला परन्तु तहसीलदार हल्का पटवारी ने नाम शुद्ध करने से मना कर दिया। अब प्रार्थी के पास मात्र यही विकल्प है। प्रतिवादीगण को आदेशित किया जावें कि खसरा नम्बर 33/8, खसरा नम्बर 9, 10/3 जो कि आम बोलचाल के नाम फतेहसिंह जो कि आम बोलचाल का नाम है, को हजब कर वादी का दस्तावेजी नाम विरेन्द्रप्रतापसिंह अंकित किया जावें।

2. वादी द्वारा वादपत्र बाबत शुद्धिकरण पेश किया गया है जिसे भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थना पत्र के तहत सुनवाई करते हुए अप्रार्थीगणों को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की ग[illegible]क रिपोर्ट अनुसार ग्राम गोपालपुरा की वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 33 खसरा 33/8 रकबा 8 बीघा फतेहसिंह पुत्र शिवसहाय जाति गूर्जर सा. बहरावण्डा खुर्द [illegible]दार साहिन बीओबी बहरावण्डा खुर्द दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त खातेदारी भूमि फतेहसिंह पुत्र शिवसहाय जाति गूजर निवासी बहरावण्डा खुर्द के नाम से दिनांक 19.12.2001 को प्रशासन गांवो के संग अभियान में आवंटन हुई थी। जिसके नामान्तकरण की नकल व प्रशासन गांवो के संग अभियान में प्रभारी अधिकारी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.04.09 18:45:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते खण्डार (स. मा.)

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

रिकॉर्ड में अमल का आदेश संलग्न है। दोनों नाम के एक ही व्यक्ति है या नहीं की रिपोर्ट पटवारी हल्का बहरावण्डा खुर्द ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया गया है प्रार्थी का मूल निवास जन्म स्थान बहरावण्डा खुर्द नही होने के कारण यह बताया जाना सम्भव नहीं है कि दोनो नाम के व्यक्ति एक है या अलग–अलग है। प्रार्थी का मूल जन्म स्थान जयपुर है।

3. वकील प्रार्थी द्वारा बहस करते हुए अपने प्रार्थना पत्रमें अंकित कथनों का दोहरान किया गय की प्रार्थी को आम बोलचाल की भाषा में गांव में फतेहसिंह कह कर बुलाते है। किन्तु आधार कार्ड, सर्विस बुक, पहचानपत्र बचत खाता सभी में विरेन्द्र प्रतापसिंह नाम है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खण्डार को आदेशित किया जावें कि खसरा नम्बर 33/8, खसरा नम्बर 9, 10/3 खातेदार फतेहसिंह जो कि आम बोलचाल का नाम है, को हजब कर प्रार्थी का दस्तावेजी नाम विरेन्द्र प्रताप सिंह शुद्ध किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

4. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार खण्डार द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। तहसीलदार खण्डार की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 39 में खसरा नम्बर 33/8 रकबा 8 बीघा भूमि फतेहसिंह पुत्र शिवसहाय जाति गूजर निवासी बहरावण्डा खुर्द के नाम से दिनांक 19.12.2001 को प्रशासन गांवो के संग अभियान में आंवटन हुई थी। उक्त खातेदारी भूमि फतेहसिंह के नाम आंवटन होने का तथ्य प्रार्थी द्वारा भी स्वीकार किया गया है। इससे स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 33/8 के राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज मुताबिक आंवटन आदेश ही किया गया है। प्रार्थी के द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत बहरावण्डा खुर्द द्वारा जारी प्रमाण पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विरेन्द्र प्रताप सिंह को फतेहसिंह नाम से भी जाना जाता है। किन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि प्रार्थी वही व्यक्ति है जिसे खसरा नम्बर 33/8 में भूमि आवंटित हुई थी। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया है जिससे सिद्ध हो सके की आवंटन आदेश गलत नाम के लिए जारी किया गया था। न ही प्रार्थी द्वारा नाम परिवर्तन के लिए यदि कोई विधिक कार्यवाही की हो तो उसके सम्बन्ध में दस्तावेज प्रस्तुत किया है। धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत किसी लिपकीय त्रुटि को ही सही किया जा सकता है। प्रार्थी खसरा नम्बर 33/8 में फतेहसिंह के नाम परिवर्तन कर वीरेन्द्र प्रताप सिंह दर्ज करवाना चाहता जो कि आंवटन आदेश अनुसार नहीं है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसे यह सिद्ध हो सके की फतेहसिहं जिन्हे भूमि आंवटित हुई थी व वादी एक ही व्यक्ति है। उपरोक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य पाया गया।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् शुद्धिकरण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नम्बर से कम हों तथा बाद तकमील दफ्तर दाखिल हों।

यह निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में लिखाया जाकर, सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.04.09 18:45:51 IST
Reason: SelfAttested

(वर्षा मीना)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डार(स.मा.)

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)